भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 02

Phone: 0755-2661263,2737446 **Fax**: 2661263

Website:bsgmp.net **E_mail**: bsgmadhyapradesh@gmail.com

अध्यक्ष : श्री अशोक अर्गल राज्य मुख्य आयुक्त : श्री पारसचंद्र जैन

क्र0 / 3578/ स्था.–का.अ. / रा0मु0 / 2017 भोपाल, दिनांक 3/11/2017

प्रतिष्ठा में,

श्रीमती / सुश्री / श्रीमान.....

.....

.....

विषय :– दिनांक 04 अक्टूबर–2017 को आयोजित राज्य परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण।

———000———

माननीय,

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 04 अक्टूबर–2017 को भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल में सम्पन्न राज्य परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण आपकी ओर सादर प्रेषित है।

धन्यवाद।

संलग्न :–कार्यवाही विवरण।

(आलोक खरे)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

F:\Dsk_Top(M)\Meetings\Council_execu Meeting\2016-21\Letter_Meeting_dicision_Prog_Other.doc/M.Sharma

Email 8/11/2017

दिनांक 04 अक्टूबर 2017 को आयोजित राज्य परिषद् की बैठक का कार्यवाही विवरण

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. की राज्य परिषद की बैठक दिनांक **04 अक्टूबर 2017** को दिन बुधवार समय प्रातः **11:30 बजे** भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल में **माननीय श्री अशोक अर्गल, अध्यक्ष भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश** की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुये।

क्र.	परिषद सदस्य नाम	पद	स्थान
1.	श्री अशोक अर्गल	अध्यक्ष	मुरैना
2.	श्री रमेशचन्द्र शर्मा "गुट्टू भैया"	उपाध्यक्ष	भोपाल
3.	श्रीमती सरोज राजपूत	उपाध्यक्ष	टीकमगढ़
4.	श्रीमती रेशू राजावत	उपाध्यक्ष	ग्वालियर
5.	श्री पारस चन्द्र जैन	राज्य मुख्य आयुक्त	भोपाल
6.	श्री डी.एस.राघव	राज्य आयुक्त–स्काउट	भोपाल
7.	डॉ.बलवान सिंह	राज्य कोषाध्यक्ष	भोपाल
8.	श्री आलोक खरे	राज्य सचिव	भोपाल
9.	श्रीमती अनीता अंकुलनेरकर	संयुक्त राज्य सचिव	भोपाल
10.	श्री प्रकाश चित्तौडा	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट	उज्जैन
11.	श्री चन्द्र प्रकाश शिवहरे	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट	मुरैना
12.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट	उज्जैन
13.	श्री राजीव जैन	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट	भोपाल
14.	डॉ.अशोक कुमार भार्गव	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट	उज्जैन
15.	श्रीमती गीता झा	सहायक राज्य आयुक्त–गाइड	भोपाल
16.	श्री प्रकाश दिसोरिया	राज्य संगठन आयुक्त–स्काउट	भोपाल
17.	श्रीमती चंद्रकांता उपाध्याय	राज्य संगठन आयुक्त–गाइड	भोपाल
18.	श्री आर.डी.सोलंकी	हेड क्वार्टर कमिश्नर–स्काउट	भोपाल
19.	श्री बनवारीलाल शर्मा	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त–स्काउट	भोपाल
20.	श्रीमती कमलेश शर्मा	जिला कमिश्नर–गाइड	ग्वालियर
21.	श्री के.पी.सिंह	लीडर ट्रेनर–स्काउट	शहडोल
22.	श्री आर.के.तिवारी	लीडर ट्रेनर–स्काउट	सतना
23.	श्री आर.सी.राणा	लीडर ट्रेनर–स्काउट	उज्जैन
24.	श्री विशाल सिंह भदौरिया	लीडर ट्रेनर–स्काउट	विदिशा
25.	सुश्री आशा सिंह	लीडर ट्रेनर–गाइड	भोपाल
26.	श्री विष्णु अग्रवाल	सहयोजित सदस्य	ग्वालियर
27.	श्री कुणाल मिश्रा	सहयोजित सदस्य	इंदौर
28.	श्रीमती अर्चना जाटव	सहयोजित सदस्य	दतिया
29.	श्री रमेश वारिया	ग्रुप स्काउटर	रतलाम
30.	श्री विनोद मालवीय	ग्रुप स्काउटर प्रतिनिधि	होशंगाबाद
31.	श्री प्रताप नारायण मिश्रा	ग्रुप स्काउटर	गुना
32.	श्री राजेश नरगेर	स्काउटर प्रतिनिधि	इंदौर
33.	श्री गणेश शर्मा	स्काउटर प्रतिनिधि	रतलाम
34.	श्री सुरेश पाठक	स्काउटर प्रतिनिधि	शाजापुर
35.	श्री एस.के.नायक	स्काउटर प्रतिनिधि	होशंगाबाद
36.	श्री सत्यप्रकाश शर्मा	स्काउटर प्रतिनिधि	गुना
37.	श्रीमती काव्यांजली शर्मा	गाइडर प्रतिनिधि	गुना
38.	श्रीमती विरजानंदनी शर्मा	गाइडर प्रतिनिधि	छिंदवाड़ा

39. श्री भंवर शर्मा	साधारण सदस्य प्रति.	इंदौर
40. श्री एच सिद्धिकी	लीडर ट्रेनर स्काउट	भोपाल
41. श्री मुकेश राय	जिला मुख्य आयुक्त	इंदौर
42. श्री श्याम बिहारी शर्मा	जिला आयुक्त	गुना
43. डॉ आर.आर.परमार	जिला आयुक्त प्रतिनिधि	सीहोर

बैठक का शुभारंभ ईश प्रार्थना के साथ हुआ । उपस्थित पदाधिकारियों का स्कार्फ एवं पुष्प से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। सभा में उपस्थित समस्त सदस्यों को पुष्प भेंट कर सम्मान किया गया।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि दिनांक 25 सितम्बर 17 को राज्य परिषद की बैठक होना थी जो अपरिहार्य कारणों से माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश से स्थगित हो गई थी अतः यह बैठक आज होने जा रही है।

सदस्यों के परिचय पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय को कोरम पूर्ति की सूचना देते हुए उनकी अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। राज्य सचिव ने उपस्थित सदस्यों को कहा कि सभी सदस्यों को दूरभाष, एस.एम.एस., ई–मेल, कोरियर, स्पीड पोस्ट व स्थानीय व्यक्गित डाक से बैठक की सूचना दी गई थी एवं स्मरण भी कराया गया था। बैठक का एजेंडा एवं आवश्यक प्रपत्र निर्धारित समय में भेजे जा चुके है । आशा है आप सभी ने प्रपत्रों का अवलोकन भी कर लिया होगा।

बिन्दु क्र.–01 – <u>गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि</u> –

श्री आलोक खरे, राज्य सचिव ने अवगत कराया कि दिनांक 26 **सितम्बर– 2016** को सम्पन्न राज्य परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण सभी सदस्यों को भेजा गया है व अभी सदस्यों को फोल्डर में भी उपलब्ध कराया गया है।

सदन से पुष्टि की अपेक्षा है । श्री प्रकाश चित्तौड़ा, श्री भंवर शर्मा सहित सदस्यों ने बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की।

निर्णयः– सदन ने सर्वानुमति से कार्यवाही विवरण की पुष्टि की ।

बिन्दु कृ–02 – <u>गत बैठक के पालन प्रतिवेदन की पुष्टिः–</u>

दिनांक 26 **सितम्बर– 2016** को सम्पन्न राज्य परिषद की बैठक के पालन प्रतिवेदन के पुष्टि के सम्बन्ध में राज्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया–

–राज्य सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि लगभग सभी आडिट आपत्तियों का निराकरण हो चुका है मात्र एक आडिट आपत्ति शेष है । श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा संस्था में कर्मचारियों की पद पूर्ति की जानकारी चाहने पर राज्य सचिव ने अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही जारी है जिस ही विज्ञापन जारी किया जावेगा।

सदस्यों द्वारा सिंहस्थ में सराहनीय कार्य करने पर सम्मान करने हेतु कृत कार्यवाही पर जानकारी चाही। जिसके सम्बन्ध में राज्य सचिव ने अवगत कराया कि जिला मुख्य आयुक्त पदेन जिला शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन से चर्चा की गई है एवं उनसे संपर्क कर सूची भेजने का कहा गया है जिस पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री राजीव जैन ने डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानकारी चाही। राज्य सचिव ने अवगत कराया कि इस हेतु प्रपोजल मंगाया गया है। श्री जैन ने सम्बन्धित संस्था के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करने का सुझाव दिया।

श्री रमेश शर्मा ने कहा कि जिला संघों के चुनाव, संभाग में कार्यक्रमों की सूचना सम्बन्धित पदाधिकारियों को आवश्यक रूप से दी जावे।

श्री राजीव जैन ने बैठक सूचना प्राप्त न होने का कहा एवं डाक व्यवस्था/ई–मेल/एस.एम.एस. द्वारा सम्बन्धितों को सूचना देने हेतु सुधार पर बल देते हुए संस्था की संचार/संपर्क व्यवस्था अंतर्गत रिशेप्शन/जनसंपर्क कक्ष/आवक–जावक/ को अद्यतन किया जावे तथा सम्बन्धित कक्ष में सभी सदस्यों की संपर्क हेतु जानकारी अद्यतन उपलब्ध हो । कार्यालयीन जनसंपर्क कक्ष सदस्यों का व्हाट्सअप ग्रुप बनावे कार्य को सुविधाजनक हेतु नवीन तकनीकों से संम्बद्ध किया जावे । वेबसाइट अपडेट हो व समय पर सभी को सूचना प्राप्त हो एवं इसकी पुष्टि की जावे।

श्री भंवर शर्मा ने पालन प्रतिवेदन की पुष्टि हेतु सदस्यों से सहमति चाहीं ।

<u>निर्णय</u> :– सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए पालन प्रतिवेदन की सदन द्वारा पुष्टि की गई।

कार्यवाही– कार्यालय अधीक्षक/राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)/जनसंपर्क कक्ष।

बिन्दु कृ.–03 – <u>वार्षिक प्रतिवेदन 2015–16 का अनुमोदनः–</u>

राज्य सचिव ने वार्षिक प्रतिवेदन 2015–16 के सम्बन्ध में अवगत कराया कि संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन आपको अवलोकन एवं जानकारी हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है जिसमें संस्था की प्रमुख उपलब्धियों/सम्मिलित

जानकारी के बारे में राज्य सचिव ने अवगत कराते हुए बताया कि प्रतिवेदन में विभिन्न समितियों की जानकारी, प्रमुख उपलब्धियॉ, अर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, संभाग व जिला स्तरीय, कार्यक्रम में प्रतिभागिता, गुणात्मक स्थिति सभी विभाग की, अलंकरण सूची, वयस्क प्रशिक्षण–स्काउट प्रतिवेदन, दल पंजीयन लक्ष्य–पूर्ति विवरण, जिला संघ निर्वाचन की जानकारी, वार्षिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम एवं सम्बन्धित अन्य जानकारियॉ सम्मिलित है। राज्य सचिव ने अवगत कराया कि सत्र 2015–16 का वार्षिक प्रतिवेदन का माननीय सदस्यों के समक्ष संस्था की वर्ष भर की उपलब्धियों के साथ अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं इस सम्बन्ध में उपलब्धियों की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है–

1 **वयस्क प्रशिक्षण के अंतर्गत 1, सहा.ली.ट्रे. कब 1, स्काउट 2, हिमालय वुड बैज में कब 1, स्काउट 12, रोवर 1, हुये। एडवांस कब मास्टर 22, स्काउट मास्टर 77, रोवर 12 फ्लाक लीडर 9, गा.कै. 47 हुए। बेसिक कब मा. में 92, स्काउट मास्टर 288, रो.ली. 18, फ्ला. ली. 42, गा.के. 88, रे.ली. 13 को प्रशिक्षित किया।**

2 **संभाग स्तर पर तृतीय सोपान 778 स्काउट एवं 381 गाइड ने प्राप्त किया। प्रदेश के 358 स्काउट एवं 137 गाइड राज्य पुरस्कार से एवं 64 स्काउट एवं 38 गाइड, 02 रोवर, 01 रेंजर राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये चयनित हुये ।**

3 **अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जंबूरी कार्यक्रमों में जापान जंबूरी में 17, सार्क जंबूरी श्रीलंका में 14, सिंगापुर में 02, ए.पी.आर. वर्कशाप भूटान में 05 इस प्रकार कुल 38 युवाओं ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया।**

4 **राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश से युवा कार्यक्रम अन्तर्गत 1758 स्काउट–गाइड एवं वयस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 725 कब, स्काउट, रोवर, फ्लाक लीडर, गाइड कैप्टिन, रेंजर ने प्रतिभागिता की।**

राज्य सचिव ने जानकारी प्रदान करते हुए कहा वार्षिक कार्यक्रमों की पूर्व की परिषद में स्वीकृति प्राप्त की गई थी एव राज्य कार्यकारिणी, राज्य परिषद में स्वीकृती अनुसार वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक योजना तैयार करते हुए प्रदेश के कब–बुलबुल, स्काउट–गाइड, रोवर–रेंजर के लिये नये आयाम एंव कीर्तिमान स्थापित करने के पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। कृपया वार्षिक प्रतिवेदन 2015–16 का अनुमोदन करना चाहेंगे।

श्री भंवर शर्मा, श्री विशाल सिंह भदौरिया ने वार्षिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं अनुसार सम्पन्न कार्यक्रमों की पुष्टि की सदस्यों द्वारा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रदेश राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय कार्यक्रमो में प्रतिभागिता की सराहना की गई **जिन क्षेत्रों में प्रतिभागियों की कमी अथवा नगण्यता रही उन पर विशेष ध्यान देने तथा उस विधा में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि व गुणात्मकता पर ध्यान देने की अपेक्षा की गई।**

निर्णय :–संस्था की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त करते हुये सदस्यों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन 2015–16 को अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही: राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड)

बिन्दु क. 04 :- ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2015–16 का अनुमोदन–

राज्य कोषाध्यक्ष द्वारा सदन के समक्ष वर्ष 2015–16 का अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन के सदस्य के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य कोषाध्यक्ष ने अवगत कराया गया कि पूर्व वर्षो की अंकेक्षण की 22 में से 20 आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। जो कि आगामी वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्शित होगी। पूर्व के लेनदारो को पत्र भेजा गया है उन्हें लेनदारी संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर भुगतान/समायोजन कर दिया जायेगा।

राज्य कार्यकारिणी के निर्णयानुसार ऑडिट रिपोर्ट में दर्शित आपत्तियों के शीघ्र निराकरण व सराहनीय कार्य हेतु मुख्यालय के लेखा कक्ष के (1) श्री संतोष यादव(2) श्री सुरेश गोस्वामी(3) श्री अजय व्यास (4) श्री देवेन्द्र मालवीय को राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

निर्णय – सदन द्वारा आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण करने एवं सर्वसहमति से अंकेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही– लेखाधिकारी

बिन्दु क. 05 एवं 06 :- वास्तविक आय व्यय वर्ष 2016–17 एवं पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2017–18 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति–

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से **डॉ बलवान सिंह, राज्य कोषाध्यक्ष द्वारा सदन के समक्ष वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित बजट** प्रस्तुत करते हुए बताया कि सकल बजट अनुसार वर्ष 2016–17 के अनुमोदित बजट में रू. 1229.77 लाख आय का प्रावधान करते हुए रू. 1394.74 लाख व्यय का अनुमान लगाया गया था। जिसके विरुद्ध वर्ष में प्रथम 10 महीनो में जनवरी–17 तक वास्तविक आय रू. 551.80 लाख एवं व्यय रू. 474.58 लाख जनवरी–17 तक हुआ एवं वित्त वर्ष में शेष दो महीनो में 221.47 लाख रू. की आय एवं रू. 221.43 लाख रू. व्यय होना संभावित है। इस प्रकार वर्ष 2016–17 की पुनरीक्षित आय 773.27 लाख रू.एवं व्यय 696.01 लाख रू. होना संभावित है।

वित्त वर्ष 2017–18 में सकल बजट में रू. 1150.32 लाख आय एवं रू. 1173.60 लाख व्यय का प्रावधान प्रस्तावित कर सदन के समक्ष सकल एवं विभाग वार अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

स्थापना शाखा – वर्ष 2017–18 में स्थापना शाखा में राशि 382.65 लाख रू. आय एवं राशि 355.62 लाख रू. व्यय का प्रावधान किया गया है।

पंजीयन शाखा – वर्ष 2017–18 में स्थापना शाखा में राशि 286.70 लाख रू. आय एवं राशि 320.30 लाख रू. व्यय का प्रावधान किया गया है।

साज–सज्जा शाखा – वर्ष 2017–18 में स्थापना शाखा में राशि 101.85 लाख रू. आय एवं राशि 146.54 लाख रू. व्यय का प्रावधान किया गया है।

अभिरूचि केन्द्र – वर्ष 2017–18 में स्थापना शाखा में राशि 61.12 लाख रू. आय एवं राशि 34.14 लाख रू. व्यय का प्रावधान किया गया है।

पत्रिका शाखा – वर्ष 2017–18 में स्थापना शाखा में राशि 10 लाख रू. आय एवं राशि 09 लाख रू. व्यय का प्रावधान किया गया है।

परियोजना शाखा – वर्ष 2017–18 में स्थापना शाखा में राशि 308 लाख रू. आय एवं राशि 308 लाख रू. व्यय का प्रावधान किया गया है।

1. वित्त वर्ष 2014–15 से पोषण अनुदान के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का नियत्रंण आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा किया जा रहा था। यह उम्मीद थी कि शासन से छठें वेतनमान की स्वीकृति व कर्मचारियों के स्वत्वों हेतु राशि प्रावधान अनुपूरक बजट में किया जाएगा किन्तु प्रयास के बाद भी संभव नही हो सका। अतः पूर्व 2016–17 के बजट में राशि कम करना प्रस्तावित किया गया है।
2. मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग के द्वारा स्काउट–गाइड निधि की कक्षा 9 से 12 वी तक की गत तीन वर्षो से संकलित राशि जो शिक्षा अधिकारियों के पास उपलब्ध है। उसे शासन द्वारा भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया था। शासन ने प्रतिबंध हटाते हुए राशि राज्य मुख्यालय को भेजने के आदेश जारी कर दिये है। पंजीयन राशि प्राप्त होने पर पूर्व वर्ष की राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली की बकाया भेजी गई।
3. निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कक्षा 01 से 08 तक छात्र/छात्राओं से कोई स्काउट–गाइड निधि शुल्क संकलित नही किए जाने का शासन का निर्णय है, परन्तु राष्ट्रीय मुख्यालय के द्वारा समस्त स्काउट–गाइड के दल संचालन के आधार पर स्काउट–गाइड निधि की मांग की जाती है । वर्ष 2014–15 सें निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत स्काउट/गाइड शुल्क की प्रतिपुर्ति राशि राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा राज्य मुख्यालय भोपाल को उपलब्ध नही कराई गई, न ही परियोजना के अधीन राशि उपलब्ध कराई गई।
4. आदिवासी विकास/अनुसूचित विकास द्वारा भी प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2017–18 के बजट में प्रावधान दिया है। वर्ष 2017–18 मे राज्य शिक्षा केन्द्र, आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास एवं राष्ट्रीय शिक्षा अभियान को प्रस्ताव भेजे गये। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा 133 लाख, आदिवासी विकास विभाग द्वारा 128 लाख, अनुसूचित जाति विभाग द्वारा 05 लाख का प्रावधान किया गया है। हमारा प्रयास होगा की राशि हमे समय–सीमा में प्राप्त हो सके।

श्री भंवर शर्मा ने संस्था अधिकारियों/कर्मचारियों को अभी तक छटवॉ वेतनमान न मिल पाने की बात सदन में रखते हुए कहा कि राज्य शासन अपने कर्मचारियों को सातवॉ वेतनमान का लाभ देने जा रहा है जबकि संस्था के कर्मचारियों को पॉचवें वेतनमान प्राप्त हो रहा है कर्मचारियों की वित्तिय स्थिति ठीक नहीं है कार्यशैली पर भी प्रभाव पडना प्रतीत हो रहा है हमारी ओर से इस हेतु पर्याप्त पहल नहीं हो पा रही है। माननीय अध्यक्ष जी एंव राज्य मुख्य आयुक्त से इस सम्बन्ध में विशेष प्रयास करने का अनुरोध है।

राज्य कोषाध्यक्ष ने अवगत कराया कि संस्था कर्मचारियों को छटवें वेतनमान प्रदान करने हेतु शासन स्तर पर आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा गठित समिति द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री रमेश शर्मा ने कहा कि राज्य शासन द्वारा शासन के कर्मचारियों को लगभग 10 वर्ष से अधिक समय से छटवॉ वेतनमान का लाभ दिया गया है तथा संस्था में भी राज्य शासन के नियम लागू होते हैं छटवॉ वेतनमान राज्य शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में लागू किया जाना चाहिये।

राज्य सचिव ने कहा कि सदस्यों की भावना का सम्मान है, संस्था को वेतन–भत्तों के भुगतान हेतु वर्तमान में प्राप्त हो रहा अनुदान कम है यदि छटवॉ वेतनमान शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में लागू करते हैं तो प्राप्त हो रही अनुदान राशि मात्र छह माह के वेतन–भत्तों के भुगतान में समाप्त हो जावेगी, तथा एरियर देना भी संभव नहीं होगा । लेखाकक्ष द्वारा संपूर्ण चाही गई जानकारी राज्य शासन के सम्बन्धित विभाग को भेज दी गई है व माननीय राज्य मुख्य आयुक्त भी विधिवत कार्य हेतु इस सम्बन्ध में प्रयासरत है।

श्री भंवर शर्मा ने इस हेतु संपूर्ण सदन की भावना से राज्य शासन को अवगत कराने की बात राज्य सचिव से कही, जिससे राज्य सचिव ने सहमति व्यक्त की।

निर्णय – सदन द्वारा सर्वसहमति से वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2017–18 के प्रस्तावित बजट अनुमोदित किया गया।

कार्यवाहीः लेखाधिकारी

बिन्दु क्र. 07: सत्र 2017–18 का वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक योजना का अनुमोदन–

राज्य सचिव ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक सभी कार्यक्रमों का वार्षिक कार्यक्रमों में समावेश किया गया है। सत्र 2017–18 के वार्षिक कार्यक्रम एवं कार्य योजना राज्य परिषद द्वारा अनुमोदन

हेतु प्रस्तुत करते हुए राज्य सचिव ने कहा कि पूर्व बैठक में स्वीकृति अनुसार इस वर्ष के कार्यक्रम व कार्ययोजना तैयार की गई है।

वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक योजना 2017–18 को मान्य करने का अनुरोध सदन से किया।

सदन में संस्था के कार्यक्रमों व वार्षिक योजना पर चर्चा की गई।

श्री प्रकाश चित्तौड़ा ने कहा कि हमारी राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य परिषद के सदस्यों से मेरे द्वारा निरंतर अनुरोध किया जाता रहा है प्रत्येक पदाधिकारी/सम्मानीय सदस्य संस्था के आजीवन व साधारण सदस्यों की संख्या में वृद्धि करे । संस्था सदस्यों की संख्या में संख्यात्मक व गुणात्मक वृद्धि हो, दल पंजीयन की राशि में वृद्धि हो । राज्यपाल/राष्ट्रपति अवार्डधारियों की संख्या कम अथवा नगण्य जैसी है, जिस हेतु संभाग/जिलो के मैदानी अधिकारी पूर्ण प्रयास करें व प्रदेश स्तर के अधिकारी भी निरंतर इस ओर ध्यान रखें कि गतिविधियों में वृद्धि हो।

सदन में उपस्थित सदस्यों ने भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. से जुड़े व कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने वाले सभी सहयोगी हेतु धन्यवाद व्यक्त किया एवं वार्षिक कार्यक्रम एवं योजना सत्र 2016–17 पर अपनी सहमति प्रदान की ।

निर्णय :– **सदन द्वारा वार्षिक कार्यक्रम एवं कार्य योजना को सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**

कार्यवाही: राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)

राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड)

बिन्दु क्र. 08: सदस्यों से 30 दिवस पूर्व प्रस्तावों पर चर्चा–

राज्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि माननीय सदस्यों से बैठक के 30 दिवस पूर्व कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। एक सदस्य श्री आर.सी.राणा से मात्र 15 दिवस पूर्व प्रस्ताव हुआ है जिसे माननीय अध्यक्ष की अनुमति से सम्मिलित किया जा रहा है।

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष की अनुमति से श्री आर सी राणा ने निम्नानुसार प्रस्ताव रखे–

1 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है ?

2 यदि नही तो किन–किन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कितना–2 भुगतान करना था उसमें से कितना भुगतान कब व किस प्रकार किया गया है?

3 उनके दायित्वों की शेष राशि के भुगतान करने की क्या प्रक्रिया है व एक मुश्त भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

4 सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी दिवंगत हो चुके हैं ? क्या उनके उत्तराधिकारियों को उनके पूर्ण दायित्वों का भुगतान कर दिया गया है?

5 यदि नही तो किन–किन उत्तराधिकारियों को कितना–कितना भुगतान करना शेष है ? तथा उनके भुगतान की क्या प्रक्रिया होगी?

श्री राणा ने कहा कि उपरोक्त जानकारी मैनें बैठक पूर्व चाही थी जो मुझे आज दिनांक तक अप्राप्त है। मुझे राज्य सचिव ने दूरभाष पर चर्चा में वित्तिय समस्या बताई थी, यदि ऐसा है तो योजना समिति की बैठक में चर्चा की जाना चाहिए। बजट में इस प्रकार के भुगतान का प्रावधान क्यों नहीं किया गया ? सेवानिवृत्तों को मासिक किश्तों में भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार कर्मचारियों के सी.पी.एफ. की पूर्ण राशि उनके खातों में आज दिनांक तक जमा नहीं की गई जिससे कर्मचारियों में निराशा है। अतः सभी भुगतान अविलंब करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से राज्य सचिव ने श्री राणा द्वारा चाही गई जानकारी लिखित रूप में सौंपी तथा श्री राणा सहित उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया कि श्री राणा जी का पत्र बैठक के 30 दिवस पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु इसे बैठक में सम्मिलित किया गया है। संस्था की वित्तिय स्थिति ठीक नहीं है तो भी माननीय अध्यक्ष, माननीय राज्य मुख्य आयुक्त ने संवेदनशीलता के साथ परिस्थिति अनुसार किश्तों में भुगतान करने के निर्देश दिये है । राज्य शासन द्वारा संस्था को अनुदान नियमावली के अनुसार वेतन–भत्तों के लिये उपलब्ध बजट से राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे मात्र नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन–भत्तों के का भुगतान किया जा सकता है जिसकी जानकारी संस्था की अनुदान नियमावली का अवलोकन कर प्राप्ती की जा सकती है।

निर्णय : संस्था आय में वृद्धि के प्रयास कर लंबित देनदारियों का भुगतान नियमानुसार किया जावे।

कार्यवाही: लेखाधिकारी/सहायक सचिव।

बिन्दु क्र. 09: माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर चर्चा–

राज्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय के अनुमति से सदस्यों को अपना प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया ।

1. **श्री रमेश चन्द्र शर्मा, उज्जैन** ने अपने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि (1) संभागीय पदाधिकारियों को संभाग का प्रभार सौंपा गया है, परन्तु उन्हें कार्य/उत्तरदायित्व से अवगत नहीं कराया गया है अतः उन्हें कार्य व उत्तरदायित्व की

जानकारी देते हुए संस्था में संभाग स्तरीय कार्यक्रमों/जिलों में चुनाव की सूचना देते हुए कार्यक्रमों में आंमत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। (2) अनेक जिलों में जिला संगठन आयुक्त(स्काउट/गाइड) नहीं है अतः एक जिला संगठन आयुक्त को उसके कार्यरत जिले के अतिरिक्त एक अन्य पास के जिले का प्रभार भी सौंपा जाना चाहिये। (3) संभागीय अधिकारी जिलों का दौरा करें जिलों में जिला संगठन आयुक्त न होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं अतः संभागीय अधिकारी जिलों का कार्य भी समय–2 पर देखें जिससे कार्य प्रभावित न हो। (4) पिछली अनेक बैठकों में संस्था के कर्मचारियों को छटवें वेतनमान प्रदान करने मांग करने पर अनुमोदन राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा दिया गया था, परन्तु उक्त वेतनमान आज तक लागू नहीं दिया गया है (5) अनेक जिलों में जिला मुख्य आयुक्त प्रभारी है तथा जिला मुख्य आयुक्त से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है उनसे समय नहीं मिल पाता है इस पर विचार किया जावे। श्री शर्मा ने कुछ जिला संघों में चुनाव होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सचिव को बधाई व धन्यवाद दिया।

2. **श्री के.पी.सिंह, शहडोल** ने कहा कि (1) वर्ष 2014 में राज्य पुरस्कार में 60 स्काउट–गाइड ने संभाग से प्रतिभागिता की थी जिसमें से 31 उत्तीर्ण थे उनके प्रमाणपत्र अप्राप्त है। (2) वर्ष 2015–16 में सम्पन्न तृतीय सौंपान शिविर के शहडोल जिले के प्रमाण–पत्र अप्राप्त है। मुझे इस सम्बन्ध में राज्य मुख्यालय से भेजी गई जानकारी सही नहीं है। (3) जिला शहडोल में तृतीय सौपान जॉच शिविर आयोजित करने की अनुमति शिविर दिनांक से दो माह पूर्व चाही गई थी जो राज्य प्रशिक्षण आयुक्त/राज्य संगठन आयुक्त, राज्य मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुई।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि प्रमाण–पत्र संस्था में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर भेजे गये हैं, राज्य परिषद/राज्य कार्यकारिणी में निर्णयानुसार संभागस्तरीय/जिला स्तरीय शिविर का आयोजन संस्था के संभागीय/जिला प्रशिक्षण केन्द्र पर ही होगा। **श्री प्रकाश दिसोरिया, ने** अवगत कराया कि गुणवत्ता बनाये रखने हेतु शिविर, प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित होंगे। श्री के.पी. सिंह से राज्य मुख्यालय द्वारा चाही गई जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। राज्यपाल पुरस्कार के सम्बन्ध में महामहिम मध्यप्रदेश शासन के कार्यालय से पत्र व्यवहार व चर्चा की जाती रही है महामहिम कार्यालय से आज दिनांक तक कार्यालय को राज्यपाल पुरस्कार आयोजित करने हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने से प्रमाण–पत्रों का वितरण नहीं हो पा रहा है।

3. **श्री विष्णु अग्रवाल, ग्वालियर** ने कहा कि संस्था में गतिविधियों में गुणात्मक विकास हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है। 1976 में मेरे बी.एच.ई.एल. में कार्यरत रहने के दौरन वॉलियटर्स में वृद्धि के अनेक उपाय किये गये है जो अभी भी जारी है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्य मुख्य आयुक्त जी इस दिशा में प्रयासरत है तथा वह बहुत कुछ कर सकते है।

4. **श्री आर.के.तिवारी, सतना** ने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा कि (1) प्रदेश के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थिति चिंतनीय है उनका उन्नयन नितांत आवश्यक है, उन्नयन कब होगा ? प्रतिभागियों के ठहरने की उचित व्यवस्था हो। हालत वर्षो से ठीक नहीं हो रहे हैं। प्रशिक्षण केन्द्रों के उन्नयन हेतु बजट में राशि सम्मिलित की जावे तथा कार्य संपादित हो। (2) जिला शिक्षा अधिकारियों को पदेन जिला मुख्य आयुक्त बनाये रखना उचित है अन्यथा अनेक अव्यवस्थायें होंगी। कुछ जिलों में ऐसी घटनायें पूर्व में हो चुकी है।

5. **श्री गणेश शर्मा, रतलाम** ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि (1) स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमारे प्रशिक्षण केन्द्रों में सुलभ शौचालय की व्यवस्था होना चाहिये। सुलभ शौचालय के अभाव में शिविर आयोजित करने में अनेक परेशानियॉ हैं। (2) जिला मुख्य आयुक्त पद पर किसी सामाजिक/प्रबुद्ध वरिष्ठ जन का मनोनयन किया जाना चाहिए।

बैठक के दौरान राज्य मुख्य आयुक्त ने रतलाम स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में सुलभ सौचालय बनवाने हेतु स्थानीय विधायक से चर्चा कर उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करने का श्री गणेश शर्मा को सुझाव दिया तथा प्रगति से अवगत कराने हेतु निर्देश दिये।

6. **श्रीमती विरजानंदनी शर्मा, छिंदवाड़ा** ने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा कि जिलों की ग्रामीण पंचायतों में स्काउटिंग गतिविधि नहीं है। जिला संगठन आयुक्त को निदैश जारी हो कि वह अपने जिलों में स्काउटिंग को समर्पित/सेवाभावी व्यक्तियों को जोड़े तथा संस्था की आय बढ़ाने में वृद्धि करें। अशासकीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त हो ऐसे उपाय किये जावे।

7. **श्री सुरेश पाठक, शाजापुर** ने (1) प्रशिक्षित स्काउटर/गाइडर को एक विशेष वेतनवृद्धि प्रदान करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि उक्त प्रस्ताव वर्षो से लंबित है उच्च स्तरीय समिति में रखा जा चुका है परन्तु कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं हो पाई है। (2) राज्यपाल/राष्ट्रपति अवार्डधारी को बोर्ड परिक्षाओं में 05 अंक देने की प्रस्ताव रखते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के पड़ौसी राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में यह व्यवस्था है। (3) संस्था अधिकारियों/कर्मचारियों को छटवॉ वेतनमान एरियर सहित प्रदान करना लगभग 10 वर्षो से अधिक समय से लंबित है जिस पर आज दिनांक तक परिणाम देने वाला ठोस निर्णय नहीं हो पाया है जिससे संस्था कर्मचारियों में निराशा है। (4) राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर सम्बन्धी न्यायालीन प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन से संस्था पदाधिकारियों/अधिकारियों द्वारा भेंट कर चर्चा करने का पूर्व में निर्णय हुआ था परन्तु क्या पहल हुई अवगत कराना चाहेंगे (5) संस्था सम्पत्तियों का स्वामित्व नामांतरण जिला संघों को किया जावे तथा इस हेतु एक समिति गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाना चाहिये।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि उपरोक्त में से कुछ बिंदु शासन स्तर पर भेजे गये हैं । एल.टी. को वेतनवृद्धि हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग से स्वीकृत नहीं हुआ है अनेक प्रस्तावों पर स्वीकृति प्राप्त होना लंबित है।

हेतु प्रस्तुत करते हुए राज्य सचिव ने कहा कि पूर्व बैठक में स्वीकृति अनुसार इस वर्ष के कार्यक्रम व कार्ययोजना तैयार की गई है।

वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक योजना 2017–18 को मान्य करने का अनुरोध सदन से किया।

सदन में संस्था के कार्यक्रमों व वार्षिक योजना पर चर्चा की गई।

श्री प्रकाश चित्तौड़ा ने कहा कि हमारी राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य परिषद के सदस्यों से मेरे द्वारा निरंतर अनुरोध किया जाता रहा है प्रत्येक पदाधिकारी/सम्मानीय सदस्य संस्था के आजीवन व साधारण सदस्यों की संख्या में वृद्धि करे । संस्था सदस्यों की संख्या में संख्यात्मक व गुणात्मक वृद्धि हो, दल पंजीयन की राशि में वृद्धि हो । राज्यपाल/राष्ट्रपति अवार्डधारियों की संख्या कम अथवा नगण्य जैसी है, जिस हेतु संभाग/जिलो के मैदानी अधिकारी पूर्ण प्रयास करें व प्रदेश स्तर के अधिकारी भी निरंतर इस ओर ध्यान रखें कि गतिविधियों में वृद्धि हो।

सदन में उपस्थित सदस्यों ने भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. से जुड़े व कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने वाले सभी सहयोगी हेतु धन्यवाद व्यक्त किया एवं वार्षिक कार्यक्रम एवं योजना सत्र 2016–17 पर अपनी सहमति प्रदान की ।

निर्णय :– **सदन द्वारा वार्षिक कार्यक्रम एवं कार्य योजना को सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**

कार्यवाही: राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड)

बिन्दु क्र. 08: सदस्यों से 30 दिवस पूर्व प्रस्तावों पर चर्चा–

राज्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि माननीय सदस्यों से बैठक के 30 दिवस पूर्व कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। एक सदस्य श्री आर.सी.राणा से मात्र 15 दिवस पूर्व प्रस्ताव हुआ है जिसे माननीय अध्यक्ष की अनुमति से सम्मिलित किया जा रहा है।

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष की अनुमति से श्री आर सी राणा ने निम्नानुसार प्रस्ताव रखे–

1 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है ?

2 यदि नही तो किन–किन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कितना–2 भुगतान करना था उसमें से कितना भुगतान कब व किस प्रकार किया गया है?

3 उनके दायित्वों की शेष राशि के भुगतान करने की क्या प्रक्रिया है व एक मुश्त भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

4 सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी दिवंगत हो चुके हैं ? क्या उनके उत्तराधिकारियों को उनके पूर्ण दायित्वों का भुगतान कर दिया गया है?

5 यदि नही तो किन–किन उत्तराधिकारियों को कितना–कितना भुगतान करना शेष है ? तथा उनके भुगतान की क्या प्रक्रिया होगी?

श्री राणा ने कहा कि उपरोक्त जानकारी मैनें बैठक पूर्व चाही थी जो मुझे आज दिनांक तक अप्राप्त है। मुझे राज्य सचिव ने दूरभाष पर चर्चा में वित्तिय समस्या बताई थी, यदि ऐसा है तो योजना समिति की बैठक में चर्चा की जाना चाहिए। बजट में इस प्रकार के भुगतान का प्रावधान क्यों नहीं किया गया ? सेवानिवृत्तों को मासिक किश्तों में भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार कर्मचारियों के सी.पी.एफ. की पूर्ण राशि उनके खातों में आज दिनांक तक जमा नहीं की गई जिससे कर्मचारियों में निराशा है। अतः सभी भुगतान अविलंब करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से राज्य सचिव ने श्री राणा द्वारा चाही गई जानकारी लिखित रूप में सौंपी तथा श्री राणा सहित उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया कि श्री राणा जी का पत्र बैठक के 30 दिवस पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु इसे बैठक में सम्मिलित किया गया है। संस्था की वित्तिय स्थिति ठीक नहीं है तो भी माननीय अध्यक्ष, माननीय राज्य मुख्य आयुक्त ने संवेदनशीलता के साथ परिस्थिति अनुसार किश्तों में भुगतान करने के निर्देश दिये है । राज्य शासन द्वारा संस्था को अनुदान नियमावली के अनुसार वेतन–भत्तों के लिये उपलब्ध बजट से राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे मात्र नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन–भत्तों के का भुगतान किया जा सकता है जिसकी जानकारी संस्था की अनुदान नियमावली का अवलोकन कर प्राप्ती की जा सकती है।

निर्णय : संस्था आय में वृद्धि के प्रयास कर लंबित देनदारियों का भुगतान नियमानुसार किया जावे।

कार्यवाही: लेखाधिकारी/सहायक सचिव।

बिन्दु क्र. 09: माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुर्मति से अन्य प्रस्तावों पर चर्चा–

राज्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय के अनुमति से सदस्यों को अपना प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया ।

1. **श्री रमेश चन्द्र शर्मा, उज्जैन** ने अपने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि (1) संभागीय पदाधिकारियों को संभाग का प्रभार सौंपा गया है, परन्तु उन्हें कार्य/उत्तरदायित्व से अवगत नहीं कराया गया है अतः उन्हें कार्य व उत्तरदायित्व की

जानकारी देते हुए संस्था में संभाग स्तरीय कार्यक्रमों/जिलों में चुनाव की सूचना देते हुए कार्यक्रमों में आंमत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। (2) अनेक जिलों में जिला संगठन आयुक्त(स्काउट/गाइड) नहीं है अतः एक जिला संगठन आयुक्त को उसके कार्यरत जिले के अतिरिक्त एक अन्य पास के जिले का प्रभार भी सौंपा जाना चाहिये। (3) संभागीय अधिकारी जिलों का दौरा करें जिलों में जिला संगठन आयुक्त न होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं अतः संभागीय अधिकारी जिलों का कार्य भी समय–2 पर देखें जिससे कार्य प्रभावित न हो। (4) पिछली अनेक बैठकों में संस्था के कर्मचारियों को छटवें वेतनमान प्रदान करने मांग करने पर अनुमोदन राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा दिया गया था, परन्तु उक्त वेतनमान आज तक लागू नहीं दिया गया है (5) अनेक जिलों में जिला मुख्य आयुक्त प्रभारी है तथा जिला मुख्य आयुक्त से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है उनसे समय नहीं मिल पाता है इस पर विचार किया जावे। श्री शर्मा ने कुछ जिला संघों में चुनाव होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सचिव को बधाई व धन्यवाद दिया।

2. **श्री के.पी.सिंह, शहडोल** ने कहा कि (1) वर्ष 2014 में राज्य पुरस्कार में 60 स्काउट–गाइड ने संभाग से प्रतिभागिता की थी जिसमें से 31 उत्तीर्ण थे उनके प्रमाणपत्र अप्राप्त है। (2) वर्ष 2015–16 में सम्पन्न तृतीय सौंपान शिविर के शहडोल जिले के प्रमाण–पत्र अप्राप्त है। मुझे इस सम्बन्ध में राज्य मुख्यालय से भेजी गई जानकारी सही नहीं है। (3) जिला शहडोल में तृतीय सौपान जॉच शिविर आयोजित करने की अनुमति शिविर दिनांक से दो माह पूर्व चाही गई थी जो राज्य प्रशिक्षण आयुक्त/राज्य संगठन आयुक्त, राज्य मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुई।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि प्रमाण–पत्र संस्था में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर भेजे गये हैं, राज्य परिषद/राज्य कार्यकारिणी में निर्णयानुसार संभागस्तरीय/जिला स्तरीय शिविर का आयोजन संस्था के संभागीय/जिला प्रशिक्षण केन्द्र पर ही होगा। **श्री प्रकाश दिसोरिया, ने** अवगत कराया कि गुणवत्ता बनाये रखने हेतु शिविर, प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित होंगे। श्री के.पी. सिंह से राज्य मुख्यालय द्वारा चाही गई जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। राज्यपाल पुरस्कार के सम्बन्ध में महामहिम मध्यप्रदेश शासन के कार्यालय से पत्र व्यवहार व चर्चा की जाती रही है महामहिम कार्यालय से आज दिनांक तक कार्यालय को राज्यपाल पुरस्कार आयोजित करने हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने से प्रमाण–पत्रों का वितरण नहीं हो पा रहा है।

3. **श्री विष्णु अग्रवाल, ग्वालियर** ने कहा कि संस्था में गतिविधियों में गुणात्मक विकास हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है। 1976 में मेरे बी.एच.ई.एल. में कार्यरत रहने के दौरन वॉलियटर्स में वृद्धि के अनेक उपाय किये गये है जो अभी भी जारी है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्य मुख्य आयुक्त जी इस दिशा में प्रयासरत है तथा वह बहुत कुछ कर सकते है।

4. **श्री आर.के.तिवारी, सतना** ने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा कि (1) प्रदेश के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थिति चिंतनीय है उनका उन्नयन नितांत आवश्यक है, उन्नयन कब होगा ? प्रतिभागियों के ठहरने की उचित व्यवस्था हो। हालत वर्षो से ठीक नहीं हो रहे हैं। प्रशिक्षण केन्द्रों के उन्नयन हेतु बजट में राशि सम्मिलित की जावे तथा कार्य संपादित हो। (2) जिला शिक्षा अधिकारियों को पदेन जिला मुख्य आयुक्त बनाये रखना उचित है अन्यथा अनेक अव्यवस्थायें होंगी। कुछ जिलों में ऐसी घटनायें पूर्व में हो चुकी है।

5. **श्री गणेश शर्मा, रतलाम** ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि (1) स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमारे प्रशिक्षण केन्द्रों में सुलभ शौचालय की व्यवस्था होना चाहिये। सुलभ शौचालय के अभाव में शिविर आयोजित करने में अनेक परेशानियॉ हैं। (2) जिला मुख्य आयुक्त पद पर किसी सामाजिक/प्रबुद्ध वरिष्ठ जन का मनोनयन किया जाना चाहिए।

बैठक के दौरान राज्य मुख्य आयुक्त ने रतलाम स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में सुलभ सौचालय बनवाने हेतु स्थानीय विधायक से चर्चा कर उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करने का श्री गणेश शर्मा को सुझाव दिया तथा प्रगति से अवगत कराने हेतु निर्देश दिये।

6. **श्रीमती विरजानंदनी शर्मा, छिंदवाड़ा** ने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा कि जिलों की ग्रामीण पंचायतों में स्काउटिंग गतिविधि नहीं है। जिला संगठन आयुक्त को निदैश जारी हो कि वह अपने जिलों में स्काउटिंग को समर्पित/सेवाभावी व्यक्तियों को जोड़े तथा संस्था की आय बढ़ाने में वृद्धि करें। अशासकीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त हो ऐसे उपाय किये जावे।

7. **श्री सुरेश पाठक, शाजापुर** ने (1) प्रशिक्षित स्काउटर/गाइडर को एक विशेष वेतनवृद्धि प्रदान करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि उक्त प्रस्ताव वर्षो से लंबित है उच्च स्तरीय समिति में रखा जा चुका है परन्तु कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं हो पाई है। (2) राज्यपाल/राष्ट्रपति अवार्डधारी को बोर्ड परिक्षाओं में 05 अंक देने की प्रस्ताव रखते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के पड़ौसी राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में यह व्यवस्था है। (3) संस्था अधिकारियों/कर्मचारियों को छटवॉ वेतनमान एरियर सहित प्रदान करना लगभग 10 वर्षो से अधिक समय से लंबित है जिस पर आज दिनांक तक परिणाम देने वाला ठोस निर्णय नहीं हो पाया है जिससे संस्था कर्मचारियों में निराशा है। (4) राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर सम्बन्धी न्यायालीन प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन से संस्था पदाधिकारियों/अधिकारियों द्वारा भेंट कर चर्चा करने का पूर्व में निर्णय हुआ था परन्तु क्या पहल हुई अवगत कराना चाहेंगे (5) संस्था सम्पत्तियों का स्वामित्व नामांतरण जिला संघों को किया जावे तथा इस हेतु एक समिति गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाना चाहिये।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि उपरोक्त में से कुछ बिंदु शासन स्तर पर भेजे गये हैं । एल.टी. को वेतनवृद्धि हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग से स्वीकृत नहीं हुआ है अनेक प्रस्तावों पर स्वीकृति प्राप्त होना लंबित है।

प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्था भवनों के उन्नयन में सहयोग हेतु माननीय राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजे गये हैं जिनपर पहल की जा रही है। राज्य प्रशिक्षण केन्द्र के स्वामित्व का प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है। सभी शुभाकाक्षियों की ओर से संस्था के उन्नयन की अपेक्षा है।

8. **श्री भंवर शर्मा, इंदौर** ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इस सेवाभावी संस्था का अधिकारीकरण न हो । मेरा सुझाव है कि माननीय अध्यक्ष जी, राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य आयुक्त (स्काउट/गाइड) स्वयं प्रशिक्षण केन्द्रों का अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय लेवें। जिलों में इसे जनआंदोलन बनाया जावे। जिला शिक्षा अधिकारियों का गतिविधियों हेतु आवश्यक सहयोग नहीं मिल पा रहा है इस पर भी उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।

9. **श्री राजीव जैन, भोपाल** ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि (1)संस्था के मुख्यालय से संभाग/जिलों में संचार/संपर्क में कमी को दूर कर जनसंपर्क कक्ष को संचार माध्यम से पूर्णतः जोड़ने का कहा (2) पूर्व में आयोजित समस्या निवारण शिविर में आयी समस्याओं के अंतर्गत शेष कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने हेतु पूर्ण कार्यवाही नहीं हो पाई। नियमानुसार संभव कार्यवाही होना चाहिए। (3) ई.पी.एफ. कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के सी.पी.एफ.की राशि जमा करना अच्छा कदम है । प्रत्येक कर्मचारी का देय संपूर्ण सी.पी.एफ. इसमे जमा होना चाहिये तथ कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान की व्यवस्था हो । माननीय अध्यक्ष जी एवं माननीय राज्य मुख्य आयुक्त जो राज्य सरकार में माननीय मंत्री भी है उनसे इस सम्बन्ध में व्यवस्था देने का अनुरोध है। (4) कार्पस् फंड का निर्माण भी किया जाना चाहिए।

10. **श्री प्रकाश चित्तौड़ा, उज्जैन** ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि (1) राज्य परिषद के निर्वाचन के पूर्व वार्षिक एंव आजीवन सदस्यों के प्रतिनिधि का चुनाव होता है। जिन संभागों में 100 आजीवन सदस्य हो तथा 500 वार्षिक सदस्य हो उनके प्रतिनिधि का चुनाव उन्ही के संभाग की जाना उचित होगा तथा सदस्यता वृद्धि से संभाग की आय में वृद्धि होगी।(2) संस्था संपत्ति अनेक स्थानों पर है एक दो स्थानों पर सम्बन्धित कार्यालय को आर्थिक सहायता के उद्देश्य से मैदान कार्यक्रमों हेतु देने पर जनप्रतिनिधि मुफ्त व्यवस्था चाहते हैं जो उचित नहीं है अतः इस सम्बन्ध में नियम बनाया जाना चाहिए (3) संस्था की स्थाई सम्पत्ति के नामाकरण कार्य हेतु भोपाल में निवासरत 03 पदाधिकारियो/अधिकारियो की समिति बनाई जाना चाहिए।

11 **डॉ अशोक कुमार भार्गव, उज्जैन,** ने अपनी बात रखते हुए कहा कि स्काउट वफादार, विनम्र और अपनी सम्पत्ति की रखा करने वाला होता है वह मन, वचन एवं कर्म से शुद्ध होता है ऐसे उच्च विचारों वाली संस्था में अनुशासन सदैव बना रहना चाहिये यह बात बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को सदैव स्मरण में रहनी चाहिये। स्काउट आदोलन से जुडे व्यक्ति कभी मार्ग पर नहीं जाते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि स्काउटिंग गतिविधियों के प्रसार हेतु (1) सभी जिला मुख्यालयों पर स्काउट भवन बन तथा वहॉ से गतिविधियॉ संचालित हों (2) स्काउट–गाइड के लिये सुलभ मात्रा में स्काउट साहित्य उपलब्ध हो।

12 **श्रीमती रेशु राजावत, ग्वालियर,** ने कहा कि कुछ जिला संगठन आयुक्त जो संभाग में पदस्थ थे उन्हें संभाग से पृथक कर अन्यत्र स्थानातरण कर दिया गया है जिससे कुछ जिला संगठन आयुक्त अच्छा कार्य कर रहे थे उनके स्थानांतरण से संभाग में कार्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही विकास–विशेष शुल्क संपूर्ण रूप से राज्य मुख्यालय में जमा होने से जिलों में राशि अभाव में छोटे–छोटे कार्य नहीं हो पा रहे है। अतः इस ओर ध्यान दिया जावे।

निर्णयः– जिला संघ की गतिविधियों को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु जिलों में सामाजिक कार्यो से जुड़े प्रभावशाली व्यक्तियों जिनकी स्काउटिंग के प्रति रूचि है को जिला मुख्य आयुक्त (स्काउट/गाइड) नियुक्त किया जावे, सम्बन्धितों को नियुक्ति के छः माह के भीतर जिला संघ की सदस्यता प्रदान की जावे।

समस्त बिन्दुओं पर विचार कर नियमानुसार समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही की जावे।

कार्यवाहीः राज्य सचिव

बिन्दु क्र. 10: राज्य मुख्य आयुक्त का उद्बोधन –

मा. श्री पारसचंद्र जैन, राज्य मुख्य आयुक्त ने बैठक में पदाधिकारियों एंव सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था के वर्तमान पदाधिकारी सभी एक दूसरे से परिचित हैं एवं कार्यशैली से भिज्ञ है जिससे टीमभावना से कार्य हो रहा है। श्री चित्तौड़ा जी, श्री रमेश जी, श्री राजीव जैन, श्री आलोक खरे, श्री भवंर शर्मा तथा अन्य साथी अपनी भूमिका सक्रियता से निभा रहे है। श्री राघवजी हमें मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान कर रहे हैं स्काउटिग गाइडिग का विकास हमारी सभी की सामुहिक जिम्मेदारी है।

इस सक्रिय बैठक में सदस्यों से प्राप्त सभी प्रस्ताव मेरे द्वारा नोट किये गये हैं राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर के प्रकरण में आवश्यक कानूनी प्रयास किये जा रहे हैं। उज्जैन एवं अन्य स्थानों पर भवन, प्रशिक्षण केन्द्र उन्नयन हेतु जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजे गये हैं जिस हेतु हमारी ओर से भी सार्थक पहल हो। उज्जैन में निर्मित भवन प्रदेश की स्काउटिंग में अद्वितीय है। कर्मचारियों की देनदारी एक करोड़ इकतालीस लाख के लगभग भुगतान हेतु स्वत्वों में से लगभग पचपन लाख की राशि का भुगतान कर दिया गया है एवं किश्तों में भुगतान जारी है । भोपाल नगर निगम को राशि 26 लाख देने थे तथा प्रयासों पश्चात समझौता पश्चात् राशि आठ लाख जमा किये गये हैं। कुछ विभाग को अनुदान हेतु पत्र भेजे गये है। शासन से कर्तचारियों को वेतन–भत्तों हेतु अनुदान राज्य मुख्यालय को पुनः प्राप्त होने लगा है। वर्तमान कार्यकाल में कर्मचारियों को लगभग 26 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया गया है। पूर्व की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाना जारी है। राज्य परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन्हें नोट किये गये हैं एवं नियमों

के दायरे में अमल करने के प्रयास किये जावेंगे। यह आंदोलन सबके सहारे बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। अकेले संभव नहीं होगा। मेरा एक सुझाव है कि हर जिले में एक रैली किसी भी समय स्काउटिंग के प्रचार–प्रसार हेतु आयोजित होती रहीं। आप लोग अपने सुझाव मुझे लिखित में भेज सकते हैं आपके सहयोग से स्काउटिंग सदैव चलती रहेगी। धन्यवाद।

बिन्दु क्र. 11: <u>अध्यक्षीय उद्‌बोधन</u> –

मा. अशोक अर्गल, अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत सी बाते आपकें माध्यम से इस संगठन को मिलती है, राज्य मुख्य आयुक्त ने भी आपके सुझावों पर पूर्ण ध्यान दिया है। कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी बड़ी बीमारी की समस्या हेतु मुख्यमंत्री सहायता निधि भी प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के यहॉ समस्या है। संस्था की वित्तिय स्थिति में सुधार हेतु शासन स्तर पर भी प्रयास किये जा रहे है। राज्य सचिव भी इस हेतु निरंतर प्रयासरत है।

राज्य मुख्य आयुक्त जो कि प्रदेश शासन में ऊर्जा मंत्री भी है को मेरा सुझाव है कि वह भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. के कर्मचारियों को छटवें वेतनमान प्रदान करने हेतु कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखवायें।

संस्था में संचार/डाक व्यवस्था के सुधार पर ध्यान दिया जावें। सदस्यों को सूचनायें समय पर मिले।

बिन्दु क्र. 13 <u>आभार (धन्यवाद)</u> :–

श्री आलोक खरे, राज्य सचिव ने उपस्थित सभी राज्य परिषद पदाधिकारियों, सदस्यो को उनके द्वारा बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेने पर धन्यवाद व्यक्त किया। श्री खरे कहा कि कुछ सदस्यों को बैठक की सूचना नहीं प्राप्त हुई उक्त के सम्बन्ध में संस्था स्तर पर डाक व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया जावेगा ।

हम सभी सौंपे दायित्वों को पूर्ण करेंगें। बैठक में प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग हेतु सभी को धन्यवाद । आप सभी राज्य प्रशिक्षण केंद्र बैठक हेतु पधारे सभी का आभार एवं धन्यवाद।

बैठक के अंत में राज्य परिषद सदस्यों द्वारा स्व. श्री महेन्द्र कालूखेड़ा, पूर्व अध्यक्ष भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. व पूर्व शिक्षा मंत्री म.प्र. शासन को श्रृद्धांजली दी गई।

31/

(अशोक अर्गल)
अध्यक्ष
राज्य परिषद
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

(आलोक खरे)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

==========